न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

भरत कुमार पुत्र उकाजी, जाति- माली, निवासी-सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 35/2022

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक)

-: निर्णय :- **दिनांक 30 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या 41/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.3.2022 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.3.2022 के विरुद्ध अपीलार्थी भरत कुमार द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 भरत कुमार बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय (न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही) द्वारा पारित किये गये निर्णय में इस आशय के निर्देश पारित किये गये कि अपीलान्ट को नोटिस देकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट द्वारा चलाये जा रहे केबिन की भूमि के संबंध में पुनः मौका निरीक्षण करवाकर एक माह की समयावधि में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(2) माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 भरत कुमार बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 की पालना हेतु अपीलार्थी भरत कुमार का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी भरत कुमार से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के उक्त निर्णय दि/नांक 04.4.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक [illegible] की पालना में इस न्यायालय में पुनः अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी भरत कुमार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को भी सुनवाई हेतु [illegible] किया गया एवं अधीनस्थ

.....पेज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित हुए एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुऐ। इस न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 की पालना में तहसीलदार, रेवदर तथा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर से विवादित भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शें के तलब की गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को खसरा संख्या 125/1965 ग्राम सिरोडी में 27.36 वर्गमीटर भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को अतिक्रमण के संबंध में जो नोटिस प्रेषित किया है वह तीन व्यक्तियों शेरु खान, अशोक कुमार व अपीलार्थी के नाम से संयुक्त जारी किया है, जबकि विधि अनुसार नोटिस अलग अलग जारी होना चाहिये। उक्त नोटिस में पट्टा संख्या 125/1965 लिखा हुआ है जो कि राजस्व भूमि नही है तथा न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है, बल्कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, सिरोडी की आबादी भूमि है तथा ग्राम पंचायत, सिरोडी ने अपीलार्थी भरत कुमार के दादा को उक्त भूमि वर्ष 1988 में व्यवसाय हेतु केबिन रखने के लिये किराये पर दी थी एवं अपीलार्थी के दादा के बाद अपीलार्थी के पिता एवं उसके बाद अपीलार्थी भरत कुमार किरायेशुदा भूमि पर केबिन में चाय, गोली, बिस्किट आदि बेचने का व्यवसाय करता है। ग्राम पंचायत, सिरोडी में केबिन शुदा भूमि का नियमित रुप से किराया अदा किया जाता रहा है जिसकी किराया जमा रसीद की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, सिरोडी से अनापत्ति प्राप्त कर किरायेशुदा केबिन भूमि में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरोही से किरायेशुदा केबिन भूमि में अपीलार्थी को खाद्य पदार्थ विक्रय का अनुज्ञा पत्र भी जारी किया हुआ है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी अपने दादा के समय से बतौर किरायेदार काबिज चला रहा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की रेकर्ड अनुसार जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.9.2021 को पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। विवादित भूमि न तो राजस्व भूमि है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है, बल्कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, सिरोडी की आबादी भूमि है। यह कि इस न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 की पालना में तहसीलदार, रेवदर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही से तलब की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक [illegible]/2022/30[illegible] [illegible] [illegible].11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई में यह में यह स्पष्ट रुप से अंकित कि[illegible] [illegible] रा[illegible]जस्व रेकर्ड में उक्त भूमि खसरा संख्या 482 में आती है जो कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि है और उक्त

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सडक सिरोडी से टोकरा आबादी भूमि में से चल रही है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज नही है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, जो ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अपीलार्थी के दादा को वर्ष 1988 में व्यवसाय हेतु केबिन रखने के लिये किराये पर दी गई है। विवादित भूमि आबादी भूमि होने से विवादित भूमि के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का कानूनन हक अधिकार नही है। यह कि अपीलार्थी के केबिन अडौस-पडौस में कई दुकानें व केबिन आई हुई तथा मकानात व आंबादी भूखण्ड स्थित है जो बिल्डिंग लाईन में बने हुए है उनको तहसीलदार, रेवदर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 28.11.2022 के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शें में नही दर्शाया है। शिकायतकर्ता प्रकाश कें. संघवी का आवासीय भूखण्ड भी उक्त सिरोही-टोकरा सडक पर ही स्थित है, लेकिन नजरी नक्शें में उसे भी दर्शित नही किया है। यह कि अपीलार्थी के केबिन के सामने की ओर सिरोडी-टोकरा सडक से लगत्ती हुई पक्की दुकानें बनी हुई है उनको भी नजरी नक्शें में दर्शित नही किया है, केवल अपीलार्थी को नुकसान कारित करने की नियत से दिनांक 26.11.2022 को तैयार किये गये नजरी नक्शें जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये थे उस नक्शें को बदलकर उक्त मौका रिपोर्ट के साथ दूसरा नजरी नक्शा तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाया है जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है एवं इस नजरी नक्शें में केवल अपीलार्थी के केबिन व सिरोडी-टोकरा सडक को ही नजरी नक्शें में दर्शाया है। अपीलार्थी के केबिन से लगते हुए अडौस-पडौस व सामने के केबिन/दुकानों/आवासीय भूखण्डों की स्थिति नजरी नक्शें में नही दर्शाई है। यह कि ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अपीलार्थी के दादा को व्यवसाय करने हेतु केबिन रखने के लिये ग्राम पंचायत, सिरोडी की आबादी भूमि किराये पर दी है तब से अपीलार्थी किराये पर दी हुई उक्त केबिन पर अपने दादा-पिताजी के समय से काबिज चला आ रहा है तथा केबिन में चाय, बिस्किट आदि बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। ग्राम पंचायत, सिरोडी को अपीलार्थी द्वारा प्रतिमाह नियमित रुप से किराया अदा किया जा रहा है। अपीलार्थी का सडक की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है तथा न ही सिरोडी-टोकरा सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आती है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध सिरोडी से टोकरा जाने वाली ग्रामीण सडक की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी व अन्य को संयुक्त रुप से नोटिस जारी कर नोटिस की तीनों अतिक्रमियों को अलग अलग तामिल करवाई गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य अतिक्रमियों को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील [illegible]रिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर के पत्र दिनांक 03.9.2021 के द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलार्थी भरत कुमार पुत्र उकाजी माली, निवासी- सिरोडी व अन्य दो व्यक्ति श्री शेरुखान पुत्र अहमदखान, जाति- पिंजारा, गांव लुणोलवाला व श्री अशोक कुमार पुत्र अम्बालाल जी, जाति- हरिजन, निवासी- सिरोडी के विरुद्ध संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सिरोडी में सिरोडी से टोकरा जाने वाली डामर सडक (ग्रामीण सडक) सीमा में क्षेत्रफल 18.72 वर्गमीटर, 11.18 वर्गमीटर, 6.50 वर्गमीटर व 27.36 वर्गमीटर भूमि पर केबिन व कच्चा शेड लगाकर अतिक्रमण किया है, इसलिये इन व्यक्तियों के अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किये जावे। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी भरत कुमार का केबिन सिरोडी-टोकरा सडक के केन्द्र बिन्दु से 4.90 मीटर की दूरी पर स्थित होना दर्शित किया है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की रिपोर्ट पर अपीलार्थी भरत कुमार व उक्त शेरुखान व अशोक कुमार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों अतिक्रमियों को संयुक्त रुप से नोटिस जारी कर अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य अतिक्रमियों को नोटिस की तामिल करवाई जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 27.9.2021 को निर्णय पारित किया गया। नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2021 के विरुद्ध अपीलार्थी भरत कुमार द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्याः 41/2021 दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.3.2022 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारजि किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.3.2022 के विरुद्ध अपीलार्थी भरत कुमार द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 भरत कुमार बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित किये गये निर्णय में इस आशय के निर्देश पारित किये गये कि अपीलान्ट को नोटिस देकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट द्वारा चलाये जा रहे केबिन की भूमि के संबंध में पुनः मौका निरीक्षण करवाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2022 भरत कुमार बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.4.2022 की पालना में इस न्यायालय में पुनः अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी [illegible] को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार, रेवदर तथा सहायक अभि[illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर से विवादित भूमि का [illegible] रिकार्ड अनुसार रिपोर्ट मय नजरी नक्शें के तलब की गई।

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक:राजस्व/2022/3012 दिनांक 28.11.2022 के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.11.2022 (जो तहसीलदार, रेवदर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, रेवदर द्वारा अपीलार्थी भरत कुमार की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर तैयार की गई है) में यह अंकित किया है कि मौके पर वर्तमान में श्री भरत कुमार पुत्र उकाजी माली का केबिन पूर्ववत् विद्यमान है अर्थात् सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर के पत्रांक में दर्शित केबिन की साईज अनुसार (3.60 x 7.60 मीटर) एक बडा व दो छोटे केबिन व शेड बना हुआ है। उक्त जगह श्री भरत कुमार चाय की दुकान व अल्पाहार सामग्री की बिक्री कर रहा है। उक्त केबिन व शेड सडक के मध्य बिन्दु से 12.50 मीटर की सीमा में आते है। उक्त केबिन के पीछे नाडी की पाल है। ग्राम पंचायत के पत्र अनुसार पट्टा संख्या 125/1965 जिसका आंशिक भाग सडक सीमा में आया हुआ है, के संलग्न उक्त अतिक्रमित भाग पर केबिन संचालित है। राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 482 में आती है जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है और उक्त सडक (सिरोही से टोकरा) आबादी भूमि में से चल रही है।

प्रकरण में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.01.2022 में विशेष कथन में यह अंकित किया है कि आई.आर.सी.73-1980 के उपनियम 6.1.5 अनुसार ग्रामीण सडक पर बिल्डिंग लाईन कुल 25 मीटर है अर्थात् सडक मध्य से 12.5 मीटर निर्धारित है। चूंकि तहसीलदार, रेवदर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की उक्त मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी भरत कुमार का केबिन व शेड सडक के मध्य बिन्दु से 12.50 मीटर की सीमा में आते है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सिरोही-टोकरा ग्रामीण सडक सीमा की भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested